निर्णय ब इजलास राजन विशाल आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जयपुर

प्रकरण संख्या 32/2022 (मुन्तकिल प्रार्थना पत्र)

1. श्रीराम पुत्र पोखर
2. रामचन्द पुत्र पोखर
3. रामजीलाल पुत्र पोखर
4. रामकरण पुत्र पोखर

   निवासीगण लुनेठा, तहसील आंधी, जिला जयपुर ।
5. छीतर
6. सोन्या
7. बाबूलाल
8. हनुमान
9. महादेव

   पुत्रान श्री नारायण जाति गुर्जर, निवासीयान लुनेठा, तहसील आंधी, जिला जयपुर ।

प्रार्थीगण

बनाम

1. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार आंधी, जिला जयपुर ।
2. ग्यारसा पुत्र गंगाराम
3. छोटू पुत्र छीतर
4. तुलसी देवी पत्नी सूण्डाराम
5. नवलकिशोर पुत्र माधोलाल
6. नानूराम पुत्र गंगाराम
7. रामधन पुत्र छीतर
8. रामेश्वरी पत्नी सूण्डाराम
9. श्रवण पुत्र छीतर
10. सूण्डाराम पुत्र जमनालाल
11. सूसाराम पुत्र रूडा
12. हजारी लाल पुत्र माधोलाल

    समस्त जाति गुर्जर निवासी लूनेठा, तहसील आंधी, जिला जयपुर ।

अप्रार्थीगण

मुन्तकिल प्रार्थना पत्र प्रकरण संख्या 01/2022 ब उनवानी तहसीलदार आंधी बनाम सेडूराम पुत्र रामला गुर्जर व अन्य को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में अन्तरण किये जाने बाबत ।

उपस्थितः–

1. श्री सियाराम शर्मा अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से
2. श्री दिनेश पारीक अधिवक्ता 2 लगायत 12 की ओर से ।

जिला कलक्टर
जयपुर

निर्णय दिनांक 10.03.2022

1. संक्षेप में मुन्तकिल प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि न्यायालय तहसीलदार आंधी जिला जयपुर के समक्ष रास्ते का प्रकरण संख्या 01/2022 व उनवानी तहसीलदार बनाम रोडूराम दर्ज होकर विचाराधीन है। जिसमें पीठासीन अधिकारी से न्याय प्राप्त होने में शंका जाहिर कर प्रार्थी ने उक्त प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में अन्तरण किये जाने हेतु यह प्रार्थना पत्र पेश किया है।
2. मुन्तकिल प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। तहसीलदार आंधी जिला जयपुर से बिन्दूवार टिप्पणी तलब की गई। प्रकरण में ग्यारसा, छोटू, तुलसी, नवलकिशोर, नानूराम, रामधन, रामेश्वरी, श्रवण, सूण्डाराम, सूसाराम एवं हजारी लाल ने जरिये अधिवक्ता श्री दिनेश पारीक के आदेश 1 नियम 10 सीपीसी का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया ।
3. बहस उभय पक्ष सुनी गई ।
4. प्रार्थी अधिवक्ता ने दौराने बहस मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि तहसीलदार आंधी जिला जयपुर के समक्ष ग्रामवासी लुनेठा एवं बहलोड द्वारा एक प्रार्थना पत्र पेश कर लुनेठा के खसरा नम्बर 19, 20 एवं 30 किस्म गैर मुमकिन रास्ते पर अतिक्रमण का पेश किया गया है, जो विचाराधीन है। दिनांक 01.01.2022 को प्रकरण को धारा 251 ए, राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम में दर्ज कर पटवारी हल्का माथासूला को विस्तृत जांच कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु आदेश दिया गया था। उक्त आदेश के बाद पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 10.01.2022 को रिपोर्ट प्रस्तुत कर यह बताया गया कि प्रार्थीगण 1.श्रीराम, 2.रामचन्द, 3.रामजीलाल, 4.रामकरण पिता पारख 5.छीतर, 6.सोन्या, 7.बाबूलाल, 8. हनुमान, 09 महादेव पिता नारायण द्वारा 0.01 हैक्टेयर पर खसरा नम्बर 19 ,20, एवं 30 पर अतिक्रमण कर रखा है व अन्य लोगों द्वारा भी अतिक्रमण कर रखा है। प्रार्थीगण द्वारा तहसीलदार आंधी के समक्ष अपना जवाब दिनांक 9.01.2022 को पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण की खतेदारी भूमि पुराने खसरा नम्बर 13, 14, 15, 21 कुल किता 4 कुल रकबा 33 बीघा 18 बिस्वा जो पुराने राजस्व नक्शे में सही दर्ज थी, किन्तु उसके पश्चात सैटलमेन्ट के दौरान नये खसरा नम्बर 33, 34, 35, 36, 37, 43 कुल किता 6 कुल रकबा 7.9600 बना कर नया नक्शा कायम करते समय पूर्व में नक्शे के विपरीत जाकर प्रार्थीगणों की उपरोक्त भूमि को वर्तमान नक्शे में उत्तर दिशा की तरफ कम करते हुए अन्य खातेदारान ग्यारसा, नानूराम पुत्रान गंगाराम, छोटू पुत्र छीतर, साधूराम पुत्र झांझू व अन्य की खातेदारी भूमि, खसरा नम्बर 19 किस्म गैर मुमकिन रास्ते को प्रार्थीगण की पूर्व नक्शे के अनुसार कब्जे काश्त की भूमि के स्थान पर नवीन नक्शे में गलत रूप से अंकित कर दिया जिस कारण प्रार्थीगण की भूमि नवीन नक्शे में कम अंकित हो गई जबकि प्रार्थीगण पूर्व नक्शे के अनुसार अपनी भूमि पर काबिज है एवं पुख्ता सीमा डोल बनी हुई। नवीन नक्शे में खसरा नम्बर 19 दर्ज कर रास्ता अंकित कर दिया जो गलत है। जिसकी जानकारी होने पर प्रार्थीगणों ने एक वाद पत्र धारा 131, 132 व 136 लेण्ड रेवेन्यू एक्ट के तहत उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ के समक्ष नक्शा दुरूस्ती का दावा पेश कर रखा है जिसकी वाद संख्या 6/2022 है। जिसमें अप्रार्थी तहसीलदार जमवारामगढ की तामील हो चुकी है। तहसीलदार जमवारामगढ द्वारा गलत एवं अवैद्य रूप से प्रार्थीगण को उनकी भूमि को रास्ते की भूमि खसरा नम्बर 19 की बताते हुये बेदखल करने की तैयारी की जा रही है एवं धमकी दी जा रही है कि दिनांक 07.02.2022 को प्रार्थीगण की भूमि जो खसरा नम्बर 13, 14, 15, व 21 है जिसका नया खसरा नम्बर 33, 34, 35, 36, 37, 43 है जिसको रास्ता बताया गया है उनकी खातेदारी भूमि से प्रार्थीगण को बेदखल कर दिया जावेगा। चूंकि नये नक्शे में अन्य खातेदारी ग्यारसा पुत्र गंगाराम, छोटू पुत्र छीतर, साधूराम पुत्र झांझू, तुलसी देवी पत्नी सूण्डाराम, नवल किशोर पुत्र मांगीलाल,

जिला कलक्टर
जयपुर

नानूराम पुत्र गंगाराम, रामकरण पुत्र रामचन्द, मोहन पुत्र रामचन्द, लक्षगण पुत्र रामचन्द, रामेश्वरी पत्नी सूण्डाराम, श्रवण पुत्र छीतर, रामधन पुत्र छीतर, सूण्डाराम पुत्र जगनालाल, सूसा राम पुत्र माधोलाल, सुन्दर पुत्र माधोलाल, मातादीन पुत्र माधोलाल, छमा देवी पत्नी सेडूराम, सेडूराम पुत्र रामला द्वारा यह धमकी देते हुये कि उन्होने नये नक्शे में भूमि खसरा नम्र 18, 19 व 17/370 की गलत तरमीम करवा कर हमारी खातेदारी में दर्ज करवा ली है। अब हम तहसीलदार आंधी से हमारी जान पहचान एवं राजनैतिक प्रभाव के चलते दिनांक 07.02.2020 को बेदखली का आदेश प्राप्त कर बुलडोजर चलवा कर रास्ता तुम्हारी भूमि से निकलवा कर भूमि पर कब्जा करना है। इस प्रकार तहसीलदार आंधी द्वारा मिलीभगत कर प्रार्थीगण की भूमि से प्रार्थीगण को बेदखल करना चाहते है। प्रार्थीगण को पूर्ण अन्देशा है कि तहसीलदार आंधी द्वारा दिनांक 07.02.2022 को गलत एवं गैर कानूनी निर्णय देकर प्रकरण का फैसला कर दिया जायेगा। अतः तहसीलदार आंधी के समक्ष विचाराधीन उक्त प्रकरण संख्या 1/2022 का ट्रान्सफर किसी अन्य अधिकारी जो तहसीलदार स्तर या उससे उच्च स्तर का हो, उसके पास किये जाने के आदेश फरमावें।

5. आदेश 1 नियम 10 सीपीसी प्रार्थना पत्र प्रस्तुतकर्ताओं के अधिवक्ता का तर्क है कि मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में उनका नाम अंकित कर धमकी दिये जाने का उल्लेख किया गया है, किन्तु मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में जानबूझ कर पक्षकार नहीं बनाया गया है। प्रार्थीगण जानबूझ कर प्रकरण के निस्तारण मे विलम्ब करना चाहते है। रास्ते पर अतिक्रमण का मामला है। अधीनस्थ न्यायालय मे भी लम्बी तारीखें लेने का प्रयास करते है और यह मिथ्या कथनों के आधार पर यह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर मूल प्रकरण के निस्तारण में अनावश्यक देरीना कर रहे है। अतः प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 सीपीसी का स्वीकार किया जाकर पक्षकार बनाया जावे तथा मुन्तकिल प्रार्थना पत्र खारिज फरमावें।

6. उभयपक्ष के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया।

7. राजस्व ग्राम लूनेठा तहसील आंधी की प्रस्तुत जमाबन्दी सम्वत 2075–2078 के अनुसार खसरा नम्बर 19, 20, एवं 30 राजस्व रिकार्ड में गैर मुमकिन रास्ता दर्ज है जो आदेश 1 नियम 10 सीपीसी प्रार्थना पत्र प्रस्तुतकर्ताओं के नाम पर है, परन्तु उनको मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में पक्षकार नही बनाया गया। इसलिए न्यायहित में इस मुन्तकिल प्रार्थना पत्र मे पक्षकार बनाया जाता है।

प्रकरण में उभय पक्ष को सुनने एवं पत्रावली पर उपलब्ध सम्पूर्ण तथ्यों पर गौर करने से परिलक्षित होता है कि तहसीलदार आंधी के समक्ष राजस्व रिकार्ड में दर्ज रास्ते पर किये गये अतिक्रमण को हटाने बाबत मामला विचाराधीन है। प्रार्थीगण ने मुन्तकिल प्रार्थना पत्र के समर्थन मे ऐसा कोई ठोस आधार पेश नहीं किया है। प्रार्थीगण ने केवल मात्र कयास के आधार पर अप्रार्थी तहसीलदार आंधी पर आरोप लगाया है। न्यायिक दृष्टान्त मोहन सिंह बनाम दलपत सिंह 1984 RRD 501, राधेलाल बनाम बसन्ती लाल 1986 RRD-18, एवं मुरलीधर बनाम रामस्वरूप 1980 RRD (NSU) 61 मे कयास के आधार पर प्रकरण को मुन्तकिल किया जाना न्यायोचित नहीं माना है। तहसीलदार आंधी के पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रकरण में ऐसी कोई कार्यवाही अमल में नहीं लाई गई है, जिससे उक्त प्रकरण को अन्यत्र स्थानान्तरण किया जावे। प्रार्थी द्वारा पीठासीन अधिकारी पर लगाये गये आरोपो की पुष्टि नहीं होती है। फलस्वरूप मुन्तकिल प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

9. निर्णय की प्रति हस्ब कायदा तहसीलदार आंधी को प्रेषित हो। पत्रावली दर्ज नम्बर से कम हो कर शुमार फैसल हो।

10. निर्णय आज दिनांक 10.03.2022 को सरे इजलास सुनाया गया।

10/3/22

(रो[illegible] विशाल)
जिला कलक्टर
जयपुर